न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 49/2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/190

1. सोहनलाल, निवासी 60 जीबी ए रामसिंहपुर

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 28.11.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र अस्वीकार किए जाने के आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के पत्रांक/आरटीआई/2024/767 दिनांक 28.11.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक प्रकार की होने के कारण उपलब्ध करवाई जानी संभव नहीं है, पृष्ठांकित करते हुए आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 9 के तहत खारिज किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ओबीसी जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की अपेक्षा की गयी थी, परन्तु अपीलार्थी के द्वारा वांछित सूचनाएं प्रश्नात्मक रूप में थी। जिस कारण लोक सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकार किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। चूंकि अपीलार्थी का आवेदन पत्र प्रश्नात्मक प्रवृति का था ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के द्वारा पारित विनिश्चय में कोई त्रुटि नहीं पायी गयी है। अपील खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)